

सिद्ध

29/8/24 प्रजावली पेश हुई। वादीगण मय अधिकार
उपस्थित नहीं। बाल-बाल विपिवत आवाज
लगाने पर भी वादीगण व इनके अधिकारिता के
न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से वादीगण
का वाद अफम हाजरी व अफम पेशी में खारीज
किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा